बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 4563366 / पटना, दिनांक :- 04/09/2025

ग्रा0वि0-R-504/33/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-401885)

श्री चिरंजीवी पांडेय, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-104611), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावकोठी (बेगूसराय) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोटवा (पूर्वी चम्पारण) के विरूद्ध ग्राम पंचायत-हसनपुर के सरपंच पद के उप निर्वाचन के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची का प्रकाशन करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-1684 दिनांक-01.08.2024 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री पांडेय से विभागीय पत्रांक-3169186 दिनांक-12.09.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावकोठी (बेगूसराय) के पत्रांक-634 दिनांक-05.11.2024 के माध्यम से श्री चिरंजीवी पांडेय द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री चिरंजीवी पांडेय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त आरोप एवं श्री चिरंजीवी पांडेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावकोठी के द्वारा पंचायत उप निर्वाचन, 2023 के अवसर पर मतदाता सूची के निर्माण में लापरवाही बरती गयी एवं आयोग के निर्देश का अनुपालन नही किया गया । जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्व में आरोपी पदाधिकारी के कारण पृच्छा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया था । हलांकि बाद में इनके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश पर आरोप पत्र भेजा गया तथा स्पष्टीकरण पर दिए गए मंतव्य में आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री चिरंजीवी पांडेय, ग्रा०वि०से० (अनुक्रमांक-104611), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावकोठी (बेगूसराय) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोटवा (पूर्वी चम्पारण) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत **चेतावनी** दिया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री चिरंजीवी पांडेय की चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-13.doc

Gopal

(

ज्ञापांक:- 4563366 / पटना, दिनांक :- 04/09/2025
ग्रा०वि०- R-504/33/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-401885)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4563366 / पटना, दिनांक :- 04/09/2025
ग्रा०वि०- R-504/33/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-401885)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं पूर्वी चम्पारण/ उप विकास आयुक्त, बेगूसराय एवं पूर्वी चम्पारण /कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय एवं पूर्वी चम्पारण /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री चिरंजीवी पांडेय, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावकोठी (बेगूसराय) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोटवा (पूर्वी चम्पारण)/आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4563366 / पटना, दिनांक :- 04/09/2025
ग्रा०वि०- R-504/33/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-401885)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव